45

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, औ०गंज

क्रमांक 1589 /मा०चि०/2001/ औ०गंज, दिनांक 27/8/01

प्रति,

प्रबंध संचालक,
औद्योगिक केन्द्र विकास निगम,
भोपाल ।

विषय:- आरक्षित वन भूमि में अवैध रूप से प्लाट बनाकर आबंटित करने बाबत ।

-0-

ग्राम सतलापुर से लगे खसरा क्रमांक 126, 235/1, एवं 236 को भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 के तहत वर्ष 1972 में आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है । इन खसरों का वर्तमान क्रमांक 263, 270, एवं 273 है । दिनांक 28/7/2001 को वन एवं राजस्व विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण में इन खसरों पर अवैध रूप से अतिक्रमण का निर्माण कार्य किया जाना पाया गया है । जिनमें से अधिकांश में औद्योगिक केन्द्र विकास निगम की ओर से प्लाटों का आबंटन किया गया है । चूंकि उक्त क्षेत्र वर्तमान में आरक्षित वन है, अतः इस पर की गई उक्त कार्यवाही वनसंरक्षण अधिनियम 1980 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 का उल्लंघन है । कृपया पूर्व में ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ किये गये समस्त आबंटन निरस्त करें एवं भविष्य में इस क्षेत्र में अन्य आबंटन न करें अन्यथा भारतीय वन अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी ।

27/8/01

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, औ०गंज

क्रमांक /मा०चि०/2001/ औ०गंज, दिनांक

प्रतिलिपि:- वनसंरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

2/ कलेक्टर रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

Sd/-

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, औ०गंज

General Manager
M.P.A.K.V.N., Bhopal

Audyogik Kendra Vikas Nigam (BPL)
No: 2221
Date: 31-8-01

30.8